न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बूंदी

पीठासीन अधिकारी— करतार सिंह, आर.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
41/अपील/21	22.12.2021	24.06.2022

कन्याबाई पत्नि कैलाश चन्द्र चौधरी जाति तेली निवासी ग्राम देव जी का थाना तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

—अपीलान्ट

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी।

—रेस्पोडेन्ड

उपस्थित—

अपीलान्ट की ओर से — श्री गिरधर गोपाल शर्मा एड0

रेस्पो0 की ओर से — पेरोकार सरकार

निर्णय

यह अपील तहसीलदार हिण्डोली द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.11.2021 से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम इस न्यायालय में पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश के माध्यम से अपीलान्टस को भूमि खसरा सं. 341 रकबा 0.10 बीघा किस्म सिवायचक भूमि ग्राम थाना का अतिचारी मानते हुए बेदखली, 25 रू. शास्ति से दण्डित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया।

बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलान्ट की विधिवत् तामील नहीं हुई है। सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर नहीं दिया गया है। अपीलान्टस का किसी भी राजस्व भूमि पर अतिक्रमण नहीं हैं। अपीलार्थी को दोषी करार दिये जाने से पूर्व में न तो जवाब लिया गया हैं और न ही अपीलार्थी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया हैं। अपीलाधीन आदेश दोषपूर्ण है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावें। वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 1982 पेज 522, 523 की नजीरें एवं भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित परिपत्र संख्या एफ. 6(103) राज/ख/ग्रुप 1/62 दिनांक 14.12.1962 प्रस्तुत किये।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलान्ट ने सिवायचक भूमि खसरा संख्या 341 रकबा 0.10 बीघा पर अतिचार किया है। न्यायालय सिविल न्यायाधीश हिण्डोली जिला बून्दी में वाद विचाराधीन एवं स्थगन होने के उपरान्त भी अपीलांट द्वारा नव निर्माण कार्य कर लिया हैं। अपीलार्थी को विधिवत् नोटिस जारी किया

A 6/2

... अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है,जिसमें कोई विधिक दोष नहीं है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत अतिक्रमण रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट द्वारा भूमि खसरा सं. 341 रकबा 0.10 बीघा किस्म सिवायचक भूमि पर अतिचार किया जाना प्रमाणित है, तहसीलदार के निर्णय दिनांक 29.11.21 के अनुसार पटवारीहल्का के बयान कलमबद्व किया जाना बताया गया है, परन्तु पत्रावली में बयानों की प्रति संलग्न नहीं है एवं मूल पत्रावली पर उपस्थिति हैतु पटवारी के हस्ताक्षर भी दर्ज नहीं है। पारित किया गया निर्णय न्याय संगत प्रतित नहीं होता है। अतः उक्त निर्णय को निरस्त किया जाता है साथ ही यह आदेशित किया जाता है कि कब्जा प्रस्तुत शपथ–पत्र के अनुसार 30 वर्ष से उपर का पाया जाता है तो चूकिं प्रार्थिया के पति भारतीय सेना से सेवानिवृत्त होने के कारण सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाकर अधिसूचना 05.07.2003 व आरआरडी 1982 के अनुरूप प्रकरण के नियमन हेतु नियमन समिति के समक्ष प्रस्तुत करें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय प्रति के भेजी जावें। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर कराई जावें।

निर्णय आज दिनांक 24.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(करतार सिंह)
अति0 जिला कलक्टर,
बूंदी

अति० जिला कलक्टर
बून्दी (राज०)